न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-210RAAJodhpur2024-86RTA223 Babulal ors Vs State of Rajasthan etc

01. बाबूलाल पुत्र श्री गुदडराम
02. रामकरण पुत्र श्री गुदडराम
    दोनो जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम खवासपुरा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार पीपाड शहर।
2. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड।
3. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग भोपालगढ ।
4. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर जिला. जोधपुर।
5. सहायक अभियन्ता (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर जिला, जोधपुर ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 12 जून 2024 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 54/2023 बाबूलाल बनाम तहसीलदार पीपाड़ शहर इत्यादि

उपस्थित–

श्री जे.आर. बोराणा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री गोविंदसिंह अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 54/2023 अनवान बाबूलाल बनाम तहसीलदार पीपाड़ शहर इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 12 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 जून 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 170 रकबा 2.4917 हैक्टर तथा खसरा

नंबर 170/1 रकबा 0.3317 हैक्टयर ग्राम खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के संबंध में धारा 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण/रेस्पो. के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जून 2024 के जरिये वाद पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 170 रकबा 2.4917 हैक्टर तथा खसरा नंबर 170/1 रकबा 0.3317 हैक्टयर ग्राम खवासपुरा अपीलार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त एवं तरमीम सुदा भूमि है। उक्त भूमि के उतरी पूर्वी माठ के सहारे सहारे खसरा नंबर 191 गैर मुमकिन रास्ता आया हुआ है जो रास्ता अभी राजस्व रेकर्ड मे तरमीमसुदा है उक्त रास्ते की भूमि पर पालड़ीसिद्धा से खवासपुरा जाने वाली डामर सड़क बनी हुई है जो मौके पर चलायमान है। प्रतिवादीगण उक्त सड़क का पुनः निर्माण गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 191 की बजाय अपीलांट्स की भूमि पर करने हेतु उतारू है, जबकि प्रतिवादीगण को वादीगण के खेत मे सड़क निर्माण करने का कोई अधिकार नही है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट्स के वाद को पक्षकारो के कुसंयोजन के आधार पर वाद को खारिज करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। अपीलांट्स की ओर से पक्षकारों का किसी प्रकार से कुसंयोजन नहीं किया गया था, फिर भी कोई पक्षकार आवश्यक नही है तो उसको विचारण न्यायालय पक्षकार से हटाने का आदेश दे सकता है, परन्तु वाद खारिज नहीं कर सकता है। विचारण न्यायालय ने पक्षकारो के कुसंयोजन को बताकर जो वाद खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है, वह विधि एव न्याय के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। प्रतिवादीगण ने अपने जबाबदावे मे प्रतिवादी संख्या 2 व 5 को अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने का या पक्षकारों के कुसंयोजन का कोई एतराज नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस प्रकार का कोई विचार सुनवाई के दौरान प्रकट नही किया तथा न अपीलार्थीगण को उस पर सुनवाई का कोई मौका दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धांतो के खिलाफ होने से भी निरस्तनीय है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12 जून 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला गुणावगुण एवं विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा मौके पर बनी गैर मुमकिन सड़क को ही चौड़ा किया जा रहा है। रेस्पोडेंट्स द्वारा राजस्व अधिकारियों के डिमार्केषन के बाद ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। मौके पर अपीलांट्स के खेत की सीमा के अलावा दूसरी जगह पूरी सड़क बन चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेष पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील में विचाराधीन चल रही थी। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से पक्षकारान् के कुसंयोजन बाबत किसी प्रकार का एतराज किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद को विधिक प्रक्रिया के विपरीत पक्षकारों के कुंसयोजन के आधार पर खारिज किया जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय वादी के वाद इस आधार पर खारिज न कर न्याय हित में स्वविवेक से अनावष्यक पक्षकारों को हटाने का भी आदेष पारित कर सकता था। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों एवं वाद विचारण की प्रक्रिया के विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 54/2023 अनवान बाबूलाल बनाम तहसीलदार पीपाड़ शहर इत्यादि में

पारित निर्णय दिनांक 12 जून 2024 खारिज जाता है एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देष दिये जाते है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपंरात विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर